दैनिक जागरण 23.2.95

नेपाल तक भेजे जाते हैं मेरठ के जानलेवा सिलेंडर

(हमारे प्रतिनिधि)

[illegible] मिनी गैस [illegible] नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश [illegible] अवैध कारोबार से [illegible] है। ऐसा बताया जाता [illegible] होते रहे हैं।

[illegible] अवैध कारोबार काफी विस्तृत रूप लिये हुए है [illegible] दूसरी जगह काम नहीं [illegible] मिनी गैस सिलेंडरों की अधिकांश [illegible] वाराणसी के अलावा नेपाल [illegible] इन स्थानों पर भेजा जाता है सूत्रों ने [illegible] भेजा जाता है यह माल [illegible] ठसके घरों में ठोक-ठाक [illegible]

[illegible] अधिकांश माल गाजियाबाद [illegible] गाजियाबाद से ट्रकों में भरकर आती [illegible] शहर के दर्जनों फैक्ट्रियों के [illegible] भरा पड़ा हुआ है। इस बीच, [illegible] बाद यह मामले उछलते ही मिनी गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार से जुड़े लोग सतर्क हो गये हैं और [illegible] अपनी फैक्ट्रियों [illegible] कर दिये हैं। [illegible] फैक्ट्रियों [illegible] लगा दिये गये हैं ताकि यह न पता चले कि इनमें काम हो रहा है। जबकि भीतर उनका काम चल रहा है। लेकिन ऐसी फैक्ट्रियों से पांच किलोग्राम वजन वाले गैस सिलेंडर हटा लिये गये हैं।

उधर, महानगर में जितनी भी सिलेंडर की दुकाने है उन पर से भी पाच किलोग्राम वजन के सिलेंडर हटा लिये गये हैं। ऐसी दुकानों पर अब वही सिलेंडर दिख रहे हैं जो कम से कम १५ गेज की चादर के बने हैं। लेकिन ऐसे सिलेंडर भी अवैध है और उनकी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। कुछ मिनी गैस सिलेंडर विक्रेताओं ने सफाई दी है कि उन्हें अपने कारोबार के लिए जिला उद्योग केन्द्र से मान्यता मिली हुई है पता चला है कि जिला उद्योग केन्द्र ने इन्हें लघु उद्योग इकाई मानते हुए न सिर्फ मान्यता दी है, बल्कि ऋण की भी सिफारिश की है। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि जब तक सिलेंडर आई.एस.आई. मार्क न हो, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती।

जिला प्रशासन इस मामले में अभी भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। उसने इन 'मौत की सेज' तैयार करने वाले अवैध कारोबार के खिलाफ कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि प्रशासन पर मिनी गैस सिलेंडर वाले बराबर जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही न हो पाये। इसके लिए वे 'ऊपर' से दबाव बनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं।

घनी आबादी के बीच मिनी गैस सिलिण्डरों को भरने का धंधा

16 June

—निज प्रतिनिधि—

बड़ौत (मेरठ) १५ जून। नगर की घनी आबादी के बीच खुली दुकानों पर मिनी गैस सिलेंडरों में बड़े सिलेंडरों से गैस भरकर अवैध रूप से इसकी बिक्री होने पर गम्भीर दुर्घटना की आशंका पैदा हो गयी है।

जानकारी के अनुसार नगर में अवैध रूप से कुकिंग गैस के बड़े सिलेंडर की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। बड़े सिलेंडरों से गैस रिफलिंग करके छोटे सिलेंडरों में भरी जाती है। इन छोटे सिलेंडरों का उपयोग पेट्रोमेक्स के रूप में होता है। इन छोटे सिलेंडरों पर अधिकतर कम्पनियों के नकली मार्के लगे रहते हैं। कोई-कोई छोटे सिलेंडर पर आई.एस.आई. मार्का भी लगा होता है इन नकली सिलेंडरों के कारण भीषण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

बताया जाता है कि मिनी गैस सिलेंडरों के कारोबार के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी पहली शर्त अग्निशामन विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। लेकिन इन मिनी गैस सिलेंडरों का व्यापार करने वाले इन सब औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं मानते हैं। और मनमाने ढंग से अग्नि शामन विभाग से मिली भगत कर अवैध रूप से छोटे सिलेंडरों की बिक्री कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि इस समय नगर के बाजार हाथीखाना, पट्टा बाजार, लोहिया बाजार मोहल्ला पुरियान सहित कई गली मोहल्लों में बड़े एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफलिंग व्यवसाय तेजी से फलफूल रहा है इस अवैध कार्य को करने वाले लोग घनी आबादी के बीच घरों में करते हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिनी गैस सिलेंडरों की बिक्री करने वाले दुकानदार १०० से १२० रुपये तक कुकिंग सिलेंडर खरीदते हैं। इस सिलेंडर में तीन छोटे सिलेंडर भरे जाते हैं गैस भरने के छोटे सिलेंडर में दुकानदार प्रति सिलेंडर में ६० से ७० रुपये तक वसूलते हैं। बाकी सिलेंडरों को ब्लैक में [illegible] तक बेच देते हैं।

सूत्रों के अनुसार अवैध गैस सिलेंडर व्यवसाय से सम्बंधित मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार पहले इंडियन आयल कार्पोरेशन को दिया गया था लेकिन सरकार ने फरवरी १९९० में कानून में संशोधन कर यह अधिकार प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों को दे दिया गया है। लेकिन इन अधिकारियों ने आज तक कोई कार्यवाही इन अवैध व्यापारियों के खिलाफ नहीं की है। जबकि नगर की कुकिंग गैस एजेंसियों में बड़े पैमाने पर धांधली धड़ल्ले से की जाती है।

इस बारे में कई बार गैस उपभोक्ता जिला मजिस्ट्रेट से मिलकर अन्य उच्चाधिकारियों को बता चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही इनके खिलाफ न होने से उपभोक्ताओं की परेशानियों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है।